

हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय, हरियाणा
सामान्य प्रशासन विभाग

सरकारी आदेश

क्रमांक 22/132/2013-1 जीएस III
सेवा में

दिनांक : 21.03.2014

1. हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रशासनिक सचिव
2. राज्य के सभी विभागाध्यक्ष
3. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मण्डल
4. सभी बोर्डों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी मुख्य प्रशासक तथा प्रबंध निदेशक
5. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़
6. सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)
7. हरियाणा राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार

विषय : अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों , आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने बारे।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान सरकारी हिदायतों की ओर दिलाने के निर्देश दिये गये हैं।

संदर्भ :		
क	अधिसूचनाएं	
1.	संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित)	
2.	हरियाणा सरकार हिदायतें क्रमांक 4/76/78-एसडब्ल्यू दिनांक 13.9.1984	
3.	हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 59 एसडब्ल्यू (1)-2013 दिनांक 24.01.2013	
4.	हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 770 एसडब्ल्यू (1)-2013 दिनांक 10.10.2013	
5.	हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 938 एसडब्ल्यू (1)-2013 दिनांक 13.01.2014	
ख	सरकारी निर्देश	
1.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण - भारत सरकार के तहत सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये क्रिमी लेयर (सम्पन्न वर्गों) का अपवर्जन- उम्मीदवारों द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 22/51/93-3जीएस-III प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 12.05.1994
2.	-यथा-	दिनांक 16.11.1994
3.	-यथा-	दिनांक 15.11.1995

4	—यथा—	दिनांक 19.03.1997
5	रोज़गार/परीक्षाओं आदि के लिए समुदाय प्रमाण पत्र संख्या 22/51/93-3जीएस-III जारी करना	दिनांक 18.06.1997
6	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण हेतु संशोधित प्रोफार्मा प्रमाण पत्र संख्या 22/51/93-3जीएस-III	दिनांक 12.08.1997
7	हरियाणा सरकार हिदायत संख्या 62/17/95-2जीएस-III	दिनांक 3.10.1996
8	केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को निर्धारित प्रोफार्मा में जाति/समुदाय प्रमाण पत्र संख्या 22/51/93-3जीएस-III जारी करना ।	दिनांक 14.10.1997
9	हरियाणा के पिछड़े वर्गों को प्रमाण पत्र संख्या 22/36/2000- जीएस-III जारी करने बारे स्पष्टीकरण	दिनांक 09.08.2000
10	— यथा —	दिनांक 11.12.2001
11	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को आवासीय/आय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र संख्या 22/28/2003-3जीएस-III जारी करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाना	दिनांक 30.01.2004
12	—यथा—	दिनांक 17.6.2004
13	अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण पत्र संख्या 22/76/2012-1जीएस-III जारी करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाना	दिनांक 22.3.2012
14	—यथा—	दिनांक 12.6.2012
15	केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिये आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र संख्या 22/76/2011-1जीएस-III जारी करने बारे	दिनांक 12.11.2012
ग	संबंधित निर्देश	
1	हरियाणा सरकार/सरकारी उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों में नौकरियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण प्रदान करना- संख्या 22/10/2013-1जीएस-III	दिनांक 07.05.2013
2	—यथा—	दिनांक 12.12.2013
3	सामाजिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिये आरक्षण के दायरे से बाहर निकालने के लिये आय मानदण्ड में संशोधन- संख्या 22/22/2004-3जीएस-III	दिनांक 06.01.2014

समय-समय पर अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों जाति प्रमाण- पत्र जारी करने के संबंध में, अब राज्य सरकार ने व्यापक रूप से निम्नलिखित हिदायते जारी करने का निर्णय लिया है तथा पूर्व में इस निमित्त जारी की गई किन्ही अन्य हिदायतों के सन्दर्भ के बिना कार्यान्वित की जाएगी।

1. परिचय

- 1.1 जाति प्रमाण-पत्र किसी व्यक्ति के जाति विशेष से संबंधित होने का प्रमाण है, विशेषकर यदि वह अनुसूचित जातियों, जैसा कि भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट है, में से किसी एक से

संबंधित है। जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, इसके निवासी निम्नलिखित जातियों/वर्गों में वर्गीकृत हैं :-

- अनुसूचित जातियां
- पिछड़े वर्ग – आगे खण्ड 'क' तथा खण्ड 'ख' में विभाजित
- विशेष पिछड़े वर्ग
- सामान्य वर्ग (सभी शेष जातियां जो उपरोक्त सूचियों में शामिल नहीं हैं)

- 1.2 विभिन्न जाति समूहों अर्थात् अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े वर्गों के संबंध में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की हैं।
- 1.3 संरक्षात्मक विभेद और सकारात्मक कार्य की भारतीय प्रणाली के भाग के तौर पर कुछ निश्चित विशेषाधिकार विद्यमान हैं, जो इन वर्गों के नागरिकों को प्रदान किये गये हैं। सरकार ने महसूस किया कि अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों को अन्य नागरिकों के समान प्रगति करने के लिये विशेष प्रोत्साहन एवं अवसरों, जैसे कि विधान मण्डलों तथा सरकारी नौकरियों में सीटों का आरक्षण, स्कूलों एवं कॉलेजों में दाखिले के लिये फीस के कुछ भाग या समस्त फीस में छूट, शैक्षणिक संस्थानों में कोटा, कुछ नौकरियों में आवेदन के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट आदि की आवश्यकता है। इन जातियों/वर्गों में से किसी भी एक से संबंधित व्यक्ति के पास वैध जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए ताकि वह इन विशेषाधिकारों को प्राप्त कर सके।
- 1.4 सरकार ने हरियाणा राज्य के नागरिकों/निवासियों को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए समय-समय पर हिदायते जारी की हैं। इस विषय में जारी कुछ हिदायतों का ऊपर उल्लेख किया गया है।
- 1.5 किसी नामावली का जाति प्रमाण-पत्र जारी करने को सरकार द्वारा, विशेषतः इलैक्ट्रॉनिक विधि में, प्रदान की जाने वाली 'नागरिक सेवाओं' के रूप में परिभाषित किया गया है। इलैक्ट्रॉनिक विधि में नागरिक सेवाएं प्रदान करना आज की आवश्यकता है, जिसके दृष्टिगत प्रक्रियाओं एवं सक्षम प्राधिकरण को पुनः परिभाषित करना अनिवार्य हो गया है। चूंकि यह महत्वपूर्ण है कि जाति प्रमाण-पत्र वास्तविक एवं पात्र व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के जारी किया जाए और इसमें न्यूनतम प्रशासनिक प्रक्रियाएं हों, वहीं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई अपात्र व्यक्ति गलत प्रकथन/भ्रामक या मनघड़त सबूत के आधार पर ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त न करे और जाति सम्बन्धी विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न करे।
- 1.6 **प्रभावी-तिथि :** यहां वर्णित सिद्धांत, सक्षम प्राधिकारी और प्रमाण-पत्रों के प्रारूप यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। हालांकि, यह मानते हुए कि प्रदेशभर में सहायक सूचना प्रणाली (हरियाणा ई-सेवा) का क्रियान्वयन चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा और इस अवधि के दौरान नागरिकों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2014 तक इसके साथ ही मौजूदा पद्धति भी जारी रह सकती है। 31 मार्च, 2014 के बाद जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र पूर्णतः इस आदेश के अनुसार जारी किए जाएंगे।

2 जाति नामावलियां तथा जाति वंशानुक्रम

2.1 किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण/सत्यापन हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार असल में प्राधिकृत व्यक्ति/सत्ता द्वारा किया जाएगा। किसी भी संदेह की स्थिति में केवल इस विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण ही वैध होंगे।

2.2 विवाहित महिला निवासियों की जाति वही होगी, जिस जाति में उनका जन्म हुआ है। अन्तर्जातीय विवाहों से जन्मे बच्चों को पिता की जाति मिलेगी। दत्तक बच्चों को दत्तक पिता की जाति मिलेगी, या एकल अभिभावक द्वारा गोद लेने के मामले में दत्तक अभिभावक की जाति मिलेगी।

3. जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है ?

कोई भी व्यक्ति जो :

- ❖ जन्म से हरियाणा प्रदेश का अधिवासी/निवासी; या
- ❖ हरियाणा सरकार या इसके किसी बोर्ड/निगम/वैधानिक प्राधिकरण/ विश्वविद्यालय आदि का कर्मचारी या कर्मचारी का आश्रित,

इसमें निहित दिशानिर्देशों के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने का पात्र है।

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के जाति प्रमाण-पत्र के लिए आग्रह किया जा रहा है (इस दस्तावेज में 'विषय' के रूप में निर्दिष्ट है), वह राज्य निवासी डाटाबेस में शामिल हो (इस दस्तावेज में 'निवासी डाटाबेस' या सामान्यतः 'डाटाबेस' के रूप में भी निर्दिष्ट है), ताकि पहचान एवं जाति का उचित सत्यापन सुनिश्चित हो सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो निवासी डाटाबेस में शामिल नहीं है, ऐसी प्रक्रिया के लिए अलग से निर्धारित आवश्यकताएं पूरी करके किसी भी प्राधिकृत ई-दिशा/ईसेवा केन्द्र में अपना नाम दर्ज करवा सकता है।

4. जाति प्रमाण-पत्र की वैधता

4.1 किसी व्यक्ति को एक बार जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र (इसके मानक फारमेट में जैसा अनुलग्नक 3 में है) आजीवन तब तक वैध रहेगा जब तक कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में ऐसी जाति को हटाया अथवा संशोधित नहीं किया जाता।

4.2 जहां हरियाणा सरकार के संदर्भ से परे विशेष उपयोग के लिए जाति प्रमाण-पत्र हेतु आग्रह किया गया है, तो इसके लिए वैकल्पिक प्रपत्र (अर्थात् जैसा का अनुलग्नक-4 में है) में आग्रह किया एवं जारी किया जा सकता है। वैकल्पिक प्रपत्र में जाति के अलावा अन्य जानकारी शामिल है/ जैसेकि 'क्रिमी लेयर मानदण्ड' की प्रासंगिकता। ऐसे प्रमाण-पत्र, इसमें निर्दिष्ट वैधता तिथि के उपरान्त अवैध हो जाएंगे।

4.3 जाति प्रमाण-पत्र तब भी अवैध हो जाएगा, यदि उचित प्रक्रिया के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि निवासी डाटाबेस या प्रमाण-पत्र में किसी भी कारण से जाति गलत ढंग से घोषित/सत्यापित की/लिखी गई है।

5. निवासी की जाति का सत्यापन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी/व्यक्ति

5.1 निवासी की जाति के सत्यापन के लिये निम्नलिखित व्यक्ति सक्षम होंगे :

क्रम संख्या	निवासी की श्रेणी	प्राधिकृत प्राधिकारी /व्यक्ति
i	राज्य के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी	निम्नलिखित में से कोई दो : i) गांव का लम्बरदार, अधिमानतः एक पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति वर्गों से हो। यदि कोई भी लम्बरदार आरक्षित श्रेणियों से नहीं है, तो सामान्य श्रेणी का लम्बरदार उस व्यक्ति की जाति सत्यापित करेगा ; ii) गांव का सरपंच/पंच अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग से, जैसा भी मामला हो ; iii) उस अधिकार क्षेत्र का पटवारी ;
ii	हरियाणा के किसी शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगरपरिषद्/नगर निगम) का निवासी	निम्नलिखित में से कोई दो : i) वार्ड का पार्षद ii) क्षेत्र का पटवारी iii) सम्बन्धित नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी/ सचिव
iii	हरियाणा राज्य तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ वैधानिक प्राधिकरणों/ विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/कर्मचारी का आश्रित	निम्नलिखित में से कोई एक : i) सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यालय का मुखिया ; ii) सम्बन्धित कर्मचारी का विभागाध्यक्ष।

5.2 निम्नलिखित मामलों में निवासी की जाति को यथेष्टतया सत्यापित माना जाएगा और इसलिये, जाति को पुनः सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी :

- क) जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले एक बार सत्यापन प्रक्रिया का अनुसरण करने उपरान्त संबंधित व्यक्ति के पक्ष में जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ;
- ख) संबंधित व्यक्ति के परिवार के सदस्य के सम्बन्ध में पहले प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन प्रक्रिया का अनुसरण करने उपरान्त) जारी किया गया है, बशर्ते डाटाबेस में बिना किसी सन्देह के पारिवारिक वंशावली सुस्थापित हो;

ग) जहां किसी भी क्षेत्र में किसी गांव या शहरी क्षेत्र के निवासियों से सम्बन्धित आंकड़ों को उसके निवासियों की जातियों के सत्यापन के साथ ग्राम सभा/स्थानीय निवासियों/नगरपालिका वार्ड की बैठक में परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से वैध करार दिया गया है और ऊपर वर्णित प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित है; उसके बाद ये आंकड़े निवासी डाटाबेस का हिस्सा बन गये हैं; तथा इस प्रकार संबंधित व्यक्ति की जाति को डाटाबेस में सत्यापित लिखा गया है।

5.3 जहां वैकल्पिक जाति प्रमाण-पत्र प्रारूप में अतिरिक्त जानकारी (जाति के अलावा, जैसे कि क्रिमी लेयर मानदण्ड की प्रयोज्यता) शामिल है, सत्यापन चरण की आवश्यकता तब भी होगी, यदि संबंधित व्यक्ति की जाति को पहले ही सत्यापित लिखा गया है।

6. जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी

6.1 जाति प्रमाण-पत्र इस कार्य के लिये प्राधिकृत किसी भी नागरिक सेवा चैनल के माध्यम से जारी किया जा सकता है।

ऐसा कोई भी निवासी जिसकी जाति इस प्रयोजन के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तथा प्रारूप में जाति डाटाबेस में विधिवत सत्यापित एवं वर्णित है, को निम्नलिखित प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर जनित जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है :

- क) सरकारी कर्मचारी या उसके आश्रित के मामले में विभागाध्यक्ष या कार्यालय का मुखिया ;
- ख) सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र का तहसीलदार/नायब तहसीलदार ;
- ग) विद्यार्थियों के मामले में राजकीय शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, आईटीआई, बहुतकनीकी या कॉलेज) का मुखिया ;
- घ) राज्य भर में जिला ई-शासन सोसायटी द्वारा स्थापित एवं प्रबन्धित तथा राज्य के इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस कार्य के लिये प्राधिकृत कोई भी ई-दिशा केन्द्र;
- ङ) राज्य के इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वैध प्राधिकरण के तहत राज्य में संचालित सांझा सेवा केन्द्र/हरियाणा ई-सेवा केन्द्र।

6.2 इस कार्य के लिये प्राधिकृत हरियाणा सरकार के नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किये गए कम्प्यूटर जनित जाति प्रमाण-पत्र— चाहे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलैक्ट्रॉनिक फाइलें या मुद्रित प्रतियां, समान रूप से वैध मानी जाएंगी।

7. सामान्य नियम एवं शर्तें

7.1 जहां कहीं भी जाति प्रमाण-पत्र स्वीकार्य (अर्थात उसे मानने वाले पक्ष के मानदण्डों के अधीन) है, वहां उसका बिना किसी सीमा के उपयोग किया जा सकता है, और इसलिए प्रमाण-पत्र पर प्रयोग/प्रयोज्यता सीमाओं का उल्लेख नहीं होगा। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में रिलाइंग पार्टी के लिए दिशा-निर्देश नीचे पैरा 9 में दिये गए हैं।

- 7.2 राज्य निवासी डाटाबेस में तथा निर्धारित प्रारूप में सत्यापित आंकड़ों पर आधारित (ऊपर पैरा 5 में वर्णितानुसार) केवल कम्प्यूटर जनित जाति प्रमाण-पत्रों को ही इस आदेश की प्रभावी तिथि से वैध जाति प्रमाण-पत्र माना जाएगा।
- 7.3 किसी प्रकार के धोखेबाजी, अन्यथा कथन के द्वारा या तथ्यों को छुपाकर या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किये गए जाति प्रमाण-पत्र को अवैध/गैर-स्था (नोनसट) घोषित कर दिया जाएगा तथा उम्मीदवार द्वारा प्राप्त लाभ वापस ले लिये जाएंगे और तथ्यों के अन्यथा कथन आवेदक के विरुद्ध तथा मिलीभगत या अन्य या अनुचित से गलत सत्यापन करने के लिये कर्मचारियों/प्राधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला रजिस्टर्ड किया जाएगा।
- 7.4 मात्र अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने से ही, ऐसे प्रमाण-पत्र का धारक व्यक्ति समय-समय पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिये जाने वाले विभिन्न लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं बन जाता। अतः, यह महत्वपूर्ण है कि सम्बन्धित प्राधिकारी दिये गये किसी विषय के सम्बन्ध में समय पर दिशा निर्देशों के अनुसार कोई विशिष्ट लाभ प्राप्त करने की संबंधित व्यक्ति की पात्रता की जांच करे। उदाहरण के तौर पर, पिछड़े वर्गों का व्यक्ति, यदि समय-समय पर यथा परिभाषित क्रिमी लेयर में आता है, तो वह कुछेक लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं हो सकता। तदनुसार, जाति प्रमाण-पत्र का तात्पर्य 'केवल' उस व्यक्ति की जाति से होगा। विशिष्ट योजना के अन्य पात्रता मानदण्ड (जैसे कि आय स्तर या क्रिमी लेयर) किसी ऐसे लाभ को देने के लिए प्राधिकारी द्वारा अलग से उल्लेख किया जाएगा।
- 7.5 हरियाणा सरकार के सभी संगठनों (विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों, निगमों तथा समितियों सहित) को जाति प्रमाण-पत्र उसके मानक प्रारूप (जो कि अनुलग्नक 3 में दिया गया है) में स्वीकार करना आवश्यक होगा। नागरिकों की सुविधा के लिये, वैकल्पिक प्रारूप (जो अनुलग्नक 4 में दिया गया है) केवल केन्द्र सरकार के संस्थानों में उपयोग के लिये दिये गए हैं।

8. जाति प्रमाण-पत्र के आवेदन एवं निर्गमन प्रक्रिया की रूपरेखा

यह एक प्रक्रिया रूपरेखा है। कृपया विस्तृत विवरण के लिये अनुलग्नक 1 देखें।

8.1 चरण 1 – आवेदन

किसी भी हरियाणा ई-सेवा केन्द्र/ई-दिशा केन्द्र के काउण्टर पर आग्रह करें; या सीधे हरियाणा ई-सेवा वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

- i आवेदन स्वीकार करने के लिये संबंधित व्यक्ति के राज्य निवासी डाटाबेस में या तो आधार नम्बर के द्वारा या साधन/दस्तावेज के द्वारा पर्याप्त रूप से पहचान की जानी चाहिये।
- ii आवेदक इस समय उपलब्ध वैकल्पिक प्रारूप में से किसी एक में प्रमाण-पत्र के लिये आग्रह कर सकता है।
- iii यदि संबंधित व्यक्ति की जाति पहले ही सत्यापित है और राज्य निवासी डाटाबेस में इस प्रकार अभिलिखित है तो काउण्टर पर ही प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।

8.2 चरण 2- सत्यापन (केवल तभी यदि उपरोक्त पैरा 5.2 एवं 5.3 में आवश्यक बताया गया है)

- i जहां इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कार्यान्वित है, तो आवेदन स्वतः ही प्राधिकृत सत्यापक को अग्रेषित हो जाता है।
- ii निवासी दस्तावेज आधारित सत्यापन प्राप्त करने एवं प्रस्तुत करवाने का विकल्प भी ले सकते हैं।
- iii इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन के मामले में, आवेदक को केवल सत्यापन पूरा होने का इन्तजार करना होता है।
- iv आवेदन की स्थिति की जांच ऑनलाइन (ई-सेवा पोर्टल) या ई-दिशा/ई-सेवा केन्द्रों पर की जा सकती है।

8.3 चरण 3- प्रमाण-पत्र सृजन एवं निर्गमन

- i प्रत्येक सत्यापित आवेदन के लिये कम्प्यूटर प्रणाली स्वतः ही डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र सृजित कर देती है।
- ii इसे सीधे ई-सेवा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है या उस ई-दिशा/ई-सेवा केन्द्र से प्राप्त (सॉफ्ट कॉपी के रूप में या प्रिंटआउट) किया जा सकता है, जहां सेवा प्रभार अदा किया गया है। इस प्रयोगन के लिये सेवा आग्रह संख्या (सर्विस रिक्वेस्ट नम्बर, आवेदन की स्थिति का पता लगाने के लिये प्रयुक्त) और/या सेवा प्रभार रसीद की आवश्यकता होगी।
- iii सभी मुद्रित प्रमाण-पत्र ट्रेकिंग नम्बर के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किए जाते हैं और इसलिये, बिना हस्ताक्षर के वैध हैं। हालांकि, आवेदक के आग्रह पर जारीकर्ता प्रमाण-पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने एवं मोहर लगाने के लिये प्राधिकृत हैं।
- iv दस्तावेजी सत्यापन के मामले में, आवेदकों का सत्यापन उपरोक्त पैरा 5.1 के अनुसार प्राधिकृत सत्यापक (सत्यापकों) द्वारा किया जाता है और सत्यापन दस्तावेज को इण्टरनेट से जुड़े किसी भी कम्प्यूटर द्वारा या निकटतम ई-दिशा/ई-सेवा केन्द्र से ई-सेवा पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

9. रिलाइंग पार्टि द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन

- 9.1 आम तौर पर जाति प्रमाण-पत्र किसी लाभ की पात्रता के प्रमाण के रूप में ; या पात्रता मानदण्ड को पूरा करने के लिये किसी सत्ता के पास जमा करवाने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार जारी प्रमाण-पत्र को स्वीकार करने वाली सत्ता को "रिलाइंग एनटिटी" या और साधारणतः "रिलाइंग पार्टि" (आर पी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- 9.2 श्रेष्ठ पद्धति यह है कि रिलाइंग पार्टियां अपनी सूचना प्रणालियों को राज्य निवासी डाटाबेस से समेकित करके जाति सूचना प्राप्त करें ताकि प्रमाण-पत्र मुद्रित करने और प्रमाण-पत्र सत्यापित करने की समस्त प्रक्रिया दूर की जा सके।
- 9.3 अपनी सूचना प्रणालियों को राज्य निवासी डाटाबेस से समेकित करने का विकल्प लेने वाली सत्ताओं को राज्य के इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
- 9.4 राज्य निवासी डाटाबेस के साथ अपनी प्रणालियों को समेकित नहीं करने वाली रिलाइंग पार्टियां नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेंगी :

- (i) आवकों की पूर्ण प्रमाणीकता सुनिश्चित करने के लिए रिलाइंग पार्टियों को प्रमाण-पत्र पर मुद्रित सत्यापन लिंक का उपयोग करके मुद्रित प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन सत्यापन करना चाहिए।
- (ii) सुविधाजनक स्मार्टफोन/टैब्लेट आधारित सत्यापन के लिये, सत्यापन लिंक देते हुए प्रमाण-पत्र पर क्यू आर कोड भी मुद्रित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, यह रिलाइंग पार्टियों के लिये उपलब्ध एक वैकल्पिक पद्धति है। कृपया ध्यान रखें कि इस कार्य को पूरा करने के लिये स्मार्टफोन/टैब्लेट पर उपयुक्त क्यू आर कोड रीडर एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी।
- (iii) यदि प्रमाण-पत्र की डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत की जाती है तो इसे स्वीकार करने से पहले रिलाइंग पार्टियों को डिजिटल हस्ताक्षर तथा हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी की वैधता का सत्यापन कर लेना चाहिये।
- (iv) रिलाइंग पार्टियां अपने विवेक तथा जवाबदेही पर (जारी करने वाले के हस्ताक्षर के साथ या इसके बिना) मुद्रित प्रमाण-पत्र भी स्वीकार कर सकती हैं।
- (v) यदि कोई रिलाइंग पार्टी किसी जाति प्रमाण-पत्र के निर्गमन/प्रयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा दुरुपयोग का पता लगाती है तो उसे सम्बन्धित साक्ष्यों के साथ इसकी रिपोर्ट हरियाणा ई-सेवा प्राधिकारियों (उनकी वेबसाइट मेमअंर्णतलंदणहवअण्णद पर या उन्हें लिखित रूप में) अथवा नजदीकी विधि प्रवर्तन प्राधिकरण को देनी होगी।

10. शिकायत निवारण तथा सुधार प्रक्रिया

- 10.1 यदि यहां वर्णित प्रक्रियाएं तथा दिशा-निर्देश किसी विशिष्ट अवस्था को सही ढंग से पूरा नहीं करते अथवा इनसे असंतोषजनक परिणाम मिलता है तो किसी भी पणधारक (आवेदक/संबंधित व्यक्ति/सत्यापन प्राधिकारी/ई-दिशा अथवा ई-सेवा संचालक) को पहले हरियाणा ई-सेवा हैल्पडैस्क के पास जाना चाहिये, जिनका सम्पर्क विवरण हरियाणा ई-सेवा वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी स्थितियां शामिल हैं जहां जाति प्रमाण-पत्र प्रक्रिया के दौरान राज्य निवासी डाटाबेस में गलत इन्द्राज हो गया हो।
- 10.2 यदि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो ई-सेवा हैल्पडैस्क समस्या सन्दर्भ संख्या तथा समस्या/इसके अनिर्णय के सम्बन्ध में अन्य अतिरिक्त विवरण का उल्लेख करते हुए एक शिकायत हरियाणा ई-सेवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के पास दर्ज कराई जा सकती है, जिसका सम्पर्क विवरण हरियाणा ई-सेवा वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 10.3 राज्य निवासी डाटाबेस में जाति इन्द्राज में कोई भी संशोधन जांच-पड़ताल के बाद किया जाएगा। डाटाबेस का सरकारी संरक्षक जांच-पड़ताल के परिणामों के आधार पर डाटाबेस में परिवर्तन करने के लिये अधिकृत है। कृपया उपरोक्त निर्णय सख्त अनुपालन के लिये सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के ध्यान में लाया जाना चाहिये।


(राजबीर सिंह)

सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।



इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़।
2. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3. प्रशासकीय सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला।

मै + 22, 16 एन ई 111

Rawal

(राजबीर सिंह)

सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति हरियाणा के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रधान सचिवों/
प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Rawal

(राजबीर सिंह)

सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रधान सचिवों/ प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिवो / अतिरिक्त प्रधान सचिव / उपप्रधान सचिव
/ मुख्य मन्त्री के प्रधान विशेष कार्याधिकारी तथा विशेष कार्याधिकारी / मन्त्रियो / राज्य मन्त्रियो एवं मुख्य
संसदीय सचिवो के सचिव/ निजि सचिवो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Rawal

(राजबीर सिंह)

सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिवो / अतिरिक्त प्रधान सचिव / उपप्रधान सचिव / मुख्य मन्त्री के प्रधान
विशेष कार्याधिकारी तथा विशेष कार्याधिकारी / मन्त्रियो / राज्य मन्त्रियो एवं मुख्य संसदीय सचिवो के
सचिव/ निजि सचिव।

अशा: क्रमांक 22/132/2013-1जी0एस0111

दिनांक 21.03.2014

पृष्ठ क्रमांक 22/132/2013-1जी0एस0111

दिनांक 21.03.2014

इसकी एक प्रति सदस्य सचिव, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Rawal
राजबीर सिंह)

सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठ क्रमांक 22/132/2013-1जी0एस0111

दिनांक

इसकी एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निदेशक स्थानीय निकाय हरियाणा (उनसे अनुरोध है कि इन हिदायतों को राज्य के सभी नगर पालिकाओ / निगमो तथा परिषदों को भेज दी जाए।)
2. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को इन हिदायतों को पर्याप्त प्रचार हेतु।

Rawal
राजबीर सिंह)

सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति हरियाणा सिविल सचिवालय / वित्तायुक्त राजस्व विभाग के सभी अधीक्षको / उपअधीक्षको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है।

Rawal
राजबीर सिंह)

सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अधीक्षक / उपअधीक्षक, हरियाणा सिविल सचिवालय
तथा वित्तायुक्त राजस्व विभाग।

अशा: क्रमांक 22/132/2013-1जी0एस0111

दिनांक 21.03.2014

पृष्ठ क्रमांक 22/132/2013-1जी0एस0111

दिनांक 21.03.2014

आन्तरिक वितरण

उपरोक्त निर्देशों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर डालने के लिये एनआईसी प्रभारी उत्तरदायी होगा।

अनुलग्नक 1

जाति प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन करने तथा जारी करने की प्रक्रिया

क 1.1 चरण 1 – आवेदन

किसी हरियाणा ई-सेवा केन्द्र/ई-दिशा केन्द्र के काउण्टर पर आग्रह करना; अथवा हरियाणा ई-सेवा वेबसाइट के माध्यम से सीधे आवेदन करना।

- (क) कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिये अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के जाति प्रमाण पत्र के लिये राज्य के किसी ई-दिशा केन्द्र अथवा हरियाणा ई-सेवा केन्द्र पर किसी भी ई-दिशा/ई-सेवा संचालक के पास जाकर आवेदन कर सकता है। किसी ई-सेवा केन्द्र/ई-दिशा केन्द्र के काउण्टर पर मौखिक आग्रह को इस प्रयोजन हेतु आवेदन माना जाएगा।
- (ख) निवासी हरियाणा ई-सेवा पोर्टल (eSeva.haryana.gov.in) का प्रयोग करके भी आवेदन कर सकता है। हरियाणा सरकार और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वैधानिक प्राधिकरणों/विश्वविद्यालयों इत्यादि के कर्मचारियों द्वारा भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- (ग) आवेदक को सम्बन्धित व्यक्ति का उपयुक्त पहचान डाटा उपलब्ध करवाना होगा ताकि राज्य निवासी डाटाबेस में स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की पहचान की जा सके। कृपया स्वीकार्य पहचान विकल्पों के लिये नीचे दी गई टिप्पणियां देखें।
- (घ) यदि केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों (हरियाणा के अतिरिक्त) की संस्थाओं के लिये प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है तो आवेदक इस चरण में एक वैकल्पिक प्रपत्र में प्रमाण-पत्र के लिये आग्रह कर सकता है। ई-सेवा पोर्टल प्रपत्र चुनने के लिये उपलब्ध प्रारूपों को दर्शाएगा।
- (ङ) इस चरण में ई-सेवा पोर्टल यह निर्दिष्ट करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति की जाति निवासी डाटाबेस में 'सत्यापित' के रूप में पहले से दर्ज है। यदि यह दर्ज नहीं है तो आवेदक/संचालक को सूचित किया जाएगा कि आवेदन के लिये सत्यापन की आवश्यकता है।
- (च) तब आवेदक को लागू सेवा शुल्कों का भुगतान करना होगा, जिनकी कम्प्यूटर जनित रसीद जारी की गई है। एक बार भुगतान हो जाने पर आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा और आवेदन-प्रक्रिया का पता लगाने में मदद के लिये एक सेवा आग्रह नम्बर (एसआरएन) सृजित किया जाएगा। यह एसआरएन रसीद पर मुद्रित किया जाएगा।

चरण 1 के लिये टिप्पणियां :

- (i) जाति प्रमाण पत्र के लिये किस ई-दिशा/ई-सेवा केन्द्र पर कौन आवेदन कर सकता है, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के भौगोलिक प्रतिबन्ध नहीं हैं। राज्य का कोई भी निवासी किसी भी नजदीकी सुविधाजनक केन्द्र पर आवेदन कर सकता है।
- (ii) इस समय, व्यक्ति की पहचान के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित में से कोई भी उपयुक्त समझा गया है :
 - (क) आधार नम्बर (यूआईडीएआई द्वारा जारी यूआईडी नम्बर) तथा सम्बन्धित व्यक्ति का पूरा नाम, जैसा कि आधार नम्बर के लिये नामांकन के समय उपलब्ध करवाया गया है। सम्बन्धित

व्यक्ति के आधार पत्र/कार्ड अथवा ई-आधार के प्रिंटआउट में उपरोक्त सूचना निहित होनी चाहिये;

- (ख) यदि सम्बन्धित व्यक्ति ने आधार नम्बर के लिये आवेदन किया हुआ है, परन्तु यह जारी नहीं किया गया है तो नामांकन रसीद की एक प्रति के साथ तदनुसार नामांकन आईडी तथा पूरा नाम उपलब्ध करवाना होगा;
 - (ग) यदि सम्बन्धित व्यक्ति राज्य निवासी डाटाबेस में पहले से नामांकित है (आधार नामांकन के बावजूद) तो पूरा नाम तथा पंजीकृत मोबाइल नम्बर/पंजीकृत ई-मेल पता;
 - (घ) यदि सम्बन्धित व्यक्ति फोटो सहित राज्य निवासी डाटाबेस में पंजीकृत है तथा स्वयं आवेदन कर रहा हो तो वह ई-दिशा/हरियाणा ई-सेवा संचालक को मैन्युअल तौर पर पहचान करने के लिये (रिकॉर्ड में मौजूद फोटो से मिलान करके) आग्रह कर सकता है। ऐसे मामले में ई-दिशा/हरियाणा ई-सेवा संचालक द्वारा उसकी संतुष्टि के अनुरूप पहचान पूरी की जाएगी। यदि किसी कारण से (अर्थात् केन्द्र का संचालक/प्रबन्धक पहचान के सम्बन्ध में संतुष्ट नहीं है) यह पूरी नहीं होती तो आवेदन को स्वीकृत नहीं समझा जाएगा।
 - (ङ) यदि सम्बन्धित व्यक्ति न तो आधार नम्बर के लिये नामांकित है और न ही राज्य निवासी डाटाबेस में दर्ज पाया जाता है तो वह इस सुविधा के लिये नामांकन करवा सकता/सकती है। यदि किसी कारण से उस केन्द्र पर नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं है तो राज्य के अन्य ई-दिशा/ई-सेवा केन्द्र पर नामांकन करवाया जा सकता है। जाति प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन प्रक्रिया नामांकन के सम्पन्न होने के तुरन्त बाद शुरू हो सकती है।
- (iii) ई-दिशा/ई-सेवा केन्द्रों तथा ई-सेवा पोर्टल से प्रत्येक सेवा के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित सेवा शुल्क प्रमुखता से प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है। आवेदकों को, किये गए सभी भुगतानों के लिये कम्प्यूटर-जनित रसीद लेने के लिये जोर देना चाहिये क्योंकि इससे सेवा प्रदायगी की तत्परता आंकने में मदद मिलने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

क 1.2 चरण 2 – सत्यापन (केवल तभी, यदि यह ऊपर क 1.1 चरण 1(ङ) में अनिवार्य के तौर पर निर्दिष्ट है)

जहां इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन लागू है, आवेदन स्वतः अधिकृत सत्यापकों को अग्रेषित हो जाएगा; निवासी दस्तावेज आधारित सत्यापन प्राप्त करने और जमा करवाने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

- (क) इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन : जहां यह पद्धति उपलब्ध है, स्वीकृति के बाद आवेदन गांव/कस्बे/शहर, जहां सम्बन्धित व्यक्ति निवास करता है, में एक या अधिक अधिकृत अधिकारियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिये स्वतः अग्रेषित हो जाएगा।

इस प्रणाली के इस्तेमाल में अधिकृत सत्यापकों के लिये मार्गदर्शन अनुलग्नक 5 में अलग से उपलब्ध करवाया गया है।

- (ख) दस्तावेज आधारित सत्यापन : यदि इस विकल्प का चुनाव किया जाता है तो ई-सेवा पोर्टल द्वारा एक पहले से भरा (सम्बन्धित व्यक्ति के उपलब्ध करवाए गए विवरणों पर आधारित) आवेदन-सह-सत्यापन प्रपत्र (सत्यापन दस्तावेज) सृजित किया जाएगा जो कि मुद्रित, पूर्ण रूप से भरा हुआ, हस्ताक्षरित और आवेदक द्वारा सत्यापन के लिये प्रयुक्त किया जाना चाहिये।

- (ग) यदि आवेदन किसी ई-दिशा अथवा ई-सेवा केन्द्र पर किया गया है तो संचालक लागू सेवा शुल्कों के भुगतान की रसीद के बाद सत्यापन का प्रिंटआउट उपलब्ध करवाएगा।
- घ) आवेदक को एक या अधिक प्राधिकृत सत्यापकों (उपरोक्त अनुच्छेद 5 के अनुसार) से सम्पर्क करना होगा और सत्यापन दस्तावेज पर हस्ताक्षर लेने होंगे। प्रत्येक सत्यापक का पूरा नाम एवं पदनाम लिखा जाना भी आवश्यक है।
- ङ.) जहां उपलब्ध हो, आवेदक सत्यापकों की संतुष्टि के लिए उचित दस्तावेजी प्रमाण (जैसे कि संबंधित व्यक्ति या निकट संबंधी को पहले जारी जाति प्रमाण-पत्र) जमा करवा सकते हैं। सत्यापक अपने विवेक से प्रमाण को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- च) प्राधिकृत सत्यापक या आवेदक द्वारा पूर्ण सत्यापन दस्तावेज को स्कैन करके किसी भी कम्प्यूटर से ई-सेवा पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यह ई-दिशा/ई-सेवा केन्द्र पर भी किया जा सकता है, जहां यह कार्य मुफ्त किया जाता है। दस्तावेज को फिर स्वतः ही राज्य निवासी डाटाबेस की प्रोसेसिंग एवं अद्यतन के लिये भेज दिया जाता है।

चरण 2 के लिए टिप्पणियां :

- i) आवेदक द्वारा अपनी सुविधा के लिये दस्तावेजी प्रमाणीकरण की विधि का चयन किया जा सकता है, चाहे वहां इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे मामलों में, आवेदन का परिणाम उस पद्धति पर निर्भर होगा, जो पहले पूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन पहले पूरा हो जाता है तो सत्यापन दस्तावेज को अपलोड करते समय यह निर्दिष्ट (एसआरएन के आधार पर) होगा। इसी प्रकार, यदि सत्यापन दस्तावेज दिये गये एसआरएन के लिए अपलोड या प्रोसेस किये गये हैं तो वह इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली की लम्बित सूची में दिखाई नहीं देगा।
- ii) सत्यापन दस्तावेज में स्वघोषणा/अंडरटेकिंग शामिल होगी कि आवेदन में दिये गये तथ्य सत्य एवं सही हैं और यह कि आवेदक किसी भी गलत बयानी, तथ्यों को छुपाने, उसके कारण उत्पन्न कानूनी परिणामों के लिये जिम्मेदार होगा। इसके लिए कोई शपथ-पत्र देना आवश्यक 'नहीं' होगा।
- iii) सत्यापन दस्तावेज अपलोड करते समय ध्यान से सही एसआरएन लिखा जाना चाहिए। सही एसआरएन नहीं डाले जाने के कारण अपलोडिंग करते समय प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।
- iv) केवल सत्यापन दस्तावेज अपलोड किए जायेंगे। प्रमाण दस्तावेज (यदि कोई है) केवल सत्यापकों के संदर्भ के लिये हैं – और इसलिए अपलोड नहीं किये जायेंगे।
- v) किसी भी चरण पर, आवेदक ई-दिशा/ई-सेवा केन्द्रों या ई-सेवा पोर्टल पर आवेदन की प्रगति की जांच के लिये एसआरएन का उपयोग कर सकता है।

क 1.3 चरण 3 : प्रमाण-पत्र सृजन एवं निर्गमन

- क सत्यापन चरण पूर्ण (अद्यतन स्थिति द्वारा निर्धारित अनुसार) होने पर, आवेदक लागू सेवा शुल्कों की अदायगी का प्रमाण दिखा कर किसी भी समय किसी भी ई-दिशा या ई-सेवा केन्द्र से कम्प्यूटर-जनित मुद्रित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है। प्रमाण-पत्र की अतिरिक्त प्रतियों के लिये अतिरिक्त सेवा शुल्क लगेगा।
- ख) संदर्भ के तौर पर एसआरएन और संबंधित व्यक्ति के ब्यौरे का उपयोग करके आवेदक इस कार्य के लिए उचित रूप से लैस किसी भी कम्प्यूटर से प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है।
- ग) सभी मुद्रित प्रमाण-पत्र ट्रैकिंग नम्बर के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित माने जाते हैं और इसलिये, बिना हस्ताक्षर के वैध हैं। हालांकि, आवेदक के आग्रह पर जारीकर्ता प्रमाण-पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने एवं मोहर लगाने के लिये प्राधिकृत हैं।
- घ) इस आदेश की प्रभावी तिथि से केवल कम्प्यूटर-जनित प्रमाण-पत्र (राज्य निवासी डाटाबेस पर आधारित) ही जारी किये जायेंगे।

चरण 3 के लिए टिप्पणियां :

- i) सत्यापन की ऑनलाइन विधि के कारण, जाति प्रमाण-पत्र की अतिरिक्त प्रतियों एवं फोटो प्रतियों को मूल प्रमाण-पत्र के समान माना जाता है। जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिये रिलाइंग पार्टियों के लिए मार्गदर्शन इस आदेश के अनुच्छेद 9 में उपलब्ध है।
- ii) आवेदक बिना अतिरिक्त लागत के प्रमाण पत्र की डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित सॉफ्ट कापी प्राप्त करने के लिये भी पात्र है। हालांकि, आवेदक द्वारा इस कार्य के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया (उदाहरण के तौर पर पर्याप्त फ्री स्पेस के साथ वर्किंग यूएसबी फ्लैश ड्राइव या ई-मेल पता) उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उपलब्धता के आधार पर ई-दिशा/ई-सेवा केन्द्र अतिरिक्त लागत पर ऐसे मीडिया उपलब्ध करवायेंगे।

अनुलग्नक - 5

सत्यापकों एवं निर्गमन प्राधिकारियों के लिये मार्गदर्शक टिप्पणियां जाति प्रमाण-पत्र का अनुमोदन एवं निर्गमन

ये चरण-दर-चरण मार्गदर्शक टिप्पणियां सत्यापन एवं निर्गमन प्राधिकारियों के प्रयोग के लिये उपलब्ध करवाई गई हैं (क्रमशः अनुच्छेद 5.1 तथा 6.1)।

क 4.1 व्यक्ति की जाति का इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन (अनुमोदन)

क) उन स्थानों पर, जहां इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन क्रियान्वित है, प्राधिकृत सत्यापक ऐसे कम्प्यूटर या टैबलेट उपकरण का उपयोग करेंगे, जिनकी ई-सेवा सत्यापन आवेदन तक पहुंच हो। उन्हें उपकरणों तथा/या ई-सेवा पोर्टल के उपयोग बारे पर्याप्त प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया जायेगा। अतः निम्नलिखित निर्देशों का उपयोग प्रशिक्षण की अनुपूरकता के लिये तैयार-संदर्भ के रूप में किया जायेगा।

ख) कम्प्यूटर से सत्यापन :

- ख.1) कम्प्यूटर पर लॉगिन करें
- ख.2) समर्थ ब्राउज़र (अर्थात्, फायरफ़ोक्स), का उपयोग करके, ई-सेवा पोर्टल पर जायें और उपलब्ध करवाये गये प्रत्यापकों (जैसे कि यूज़र आईडी एवं पासवर्ड) का उपयोग करके लॉगिन करें।
- ख.3) "Clear Pending Applications" लिंक पर क्लिक करें। श्रेणीवार समूहीकृत सभी लम्बित आवेदनों की एक सूची प्रकट हो जायेगी।
- ख.4) 'जाति प्रमाण-पत्र' श्रेणी का चयन करें, यदि यह पहले चयनित नहीं है।
- ख.5) लम्बित आवेदन का चयन करें और प्रस्तुत सूचना की समीक्षा करें।
- ख.6) यदि प्रस्तुत सूचना (संबंधित व्यक्ति की जाति) सही है, तो आधार के रूप में "I know the details to be true" का चयन करें और "Approve" बटन पर क्लिक करें।
- ख.7) यदि तथ्यों की सत्यता का तत्काल पता नहीं चलता, तो सत्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी संतुष्टि के लिये पूछताछ अथवा सहायक दस्तावेजों के माध्यम से तथ्यों की सत्यता बारे आवेदन की सावधानीपूर्वक तथा स्वतंत्र रूप से समीक्षा करे। चूंकि, इसमें समय लग सकता है, इसलिए उचित कारण जैसे कि 'आवेदक का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक' या 'पूछताछ के समय अस्थाई अवलम्बन' देकर आवेदन को "On Hold" रखा जा सकता है।
- ख.8) जिन मामलों में पिछले रिकार्ड/निकट संबंधियों के प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के अवलोकन के माध्यम से तथ्य निर्धारित किये गये हैं, उनमें "Approve" या "Reject" बटन क्लिक करने से पूर्व 'पूछताछ के आधार पर सत्य पाये गये' या 'उपलब्ध करवाये गये सहायक दस्तावेजों के आधार पर सत्य पाये गये' का चयन करें।

- ख.9) जब सूचना **NOT CORRECT** पाई जाये, तो उचित आधार का चयन करें, (‘मैं जानता हूँ कि विवरण गलत हैं या पूछताछ के आधार पर गलत पाये गये या उपलब्ध कराये गये सहायक दस्तावेजों के आधार पर गलत पाये गये’) और “**Reject**” बटन क्लिक करें।
- ख.10) ई-सेवा सर्वर सत्यापक का पूरा नाम, पदनाम और प्रमाणीकरण (लोगिन) विधि/समय नोट करेगा और सत्यापक के निर्देशानुसार आवेदन की स्थिति का अद्यतन करेगा।
- ग) प्राधिकृत टेबलैट उपकरण उपयोग का सत्यापन :
- ग.1) सभी प्राधिकृत टेबलैट उपकरणों पर ई-सेवा सत्यापन आवेदन पूर्व स्थापित होंगे। हो सकता है कि आपके उपकरण पर यह एप्लीकेशन न हो या यह ठीक ढंग से कार्य न कर रही हो, ऐसे में कृपया अपनी जिला स्तरीय आईटी टीम को मदद करने के लिये कहें।
- टिप्पणी : सुरक्षा प्रावधान के रूप में, ई-सेवा एप्लीकेशन लोकेशन-लॉकड हो सकती है। यदि ऐसा है तो एप्लीकेशन निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के बाहर कार्य नहीं करेगी।
- ग.2) एप्लीकेशन (निर्दिष्ट चिन्ह को दबाते हुए) शुरू करें। उपकरण के उपयोग के लिये प्राधिकृत कर्मचारियों की एक सूची आयेगी। यदि आपका नाम प्रकट नहीं होता है या तो दूसरे उपकरण का उपयोग करें या सहायता के लिये अपनी जिला स्तरीय आईटी टीम से सम्पर्क करें।
- ग.3) अपने नाम का चयन करके और एप्लीकेशन द्वारा मांगे गये अन्य अतिरिक्त प्रत्यायक (अर्थात् आपके मोबाइल पर भेजा गया एक बारगी पासवर्ड) उपलब्ध करवा कर एप्लीकेशन में लॉगिन करें।
- ग.4) श्रेणी में समूहीकृत सभी लम्बित आवेदनों की एक सूची प्रकट होगी।
- ग.5) ‘जाति प्रमाण-पत्र’ श्रेणी का चयन करें, यदि यह पहले चयनित नहीं है।
- ग.6) लम्बित आवेदन का चयन करें और प्रस्तुत जानकारी की समीक्षा करें।
- ग.7) यदि दी गई जानकारी (संबंधित व्यक्ति की जाति) सही है तो आधार के रूप में “**I know the details to be true**” का चयन करें और “**Approve**” बटन को दबायें।
- ग.8) यदि तथ्यों की सत्यता का तत्काल पता नहीं चलता, तो सत्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी संतुष्टि के लिये पूछताछ अथवा सहायक दस्तावेजों के माध्यम से तथ्यों की सत्यता बारे आवेदन की सावधानीपूर्वक तथा स्वतंत्र रूप से समीक्षा करे। चूंकि, इसमें समय लग सकता है, इसलिए उचित कारण जैसे कि ‘आवेदक का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक’ या ‘पूछताछ के समय अस्थाई अवलम्बन’ देकर आवेदन को “**On Hold**” रखा जा सकता है।
- ग.9) जिन मामलों में जहाँ पिछले रिकार्ड/निकट संबंधियों के प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के अवलोकन के माध्यम से तथ्य निर्धारित किये गये हैं, उनमें “**Approve**” या “**Reject**” बटन क्लिक करने से पूर्व ‘पूछताछ के आधार पर सत्य पाये गये’ या ‘उपलब्ध करवाये गये सहायक दस्तावेजों के आधार पर सत्य पाये गये’ का चयन करें।

ग.10) जब सूचना **NOT CORRECT** पाई जाये, तो उचित आधार का चयन करें, ('मैं जानता हूँ कि विवरण गलत हैं या पूछताछ के आधार पर गलत पाये गये या उपलब्ध कराये गये सहायक दस्तावेजों के आधार पर गलत पाये गये') और "Reject" बटन क्लिक करें।

ग.11) ई-सेवा सर्वर सत्यापक का पूरा नाम, पदनाम और प्रमाणीकरण (लोगिन) विधि/समय नोट करेगा और सत्यापक के निर्देशानुसार आवेदन की स्थिति का अद्यतन करेगा।

क4.2 संबंधित व्यक्ति की जाति का दस्तावेज आधारित सत्यापन (अनुमोदन)

- क) आवेदन-सह-सत्यापन फार्म (सत्यापन दस्तावेज) की प्राप्ति पर, सत्यापक को अपनी संतुष्टि हेतु संबंधित व्यक्ति की जाति की तथ्यात्मक सत्यता के लिए विषयवस्तु की ध्यान से समीक्षा करनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी साक्ष्य (जैसे कि संबंधित व्यक्ति या उसके निकट संबंधी को पहले जारी जाति प्रमाण-पत्र; या उस व्यक्ति का संदर्भ, जिसे सत्यापक व्यक्तिगत रूप से जानता है और जिसके संदर्भ पर वह निर्भर हो सकता है) को सत्यापक अपने विवेकानुसार ध्यान में रख सकता है।
- ख) यदि आवश्यक हो, मामले के संबंध में सत्यापक अलग से पूछताछ करने का विकल्प ले सकता है। सेवा निष्पादन में अनावश्यक देरी से बचने के लिये ऐसी पूछताछ तथा आवेदन का पत्रव्यवहारी निष्पादन युक्त अवधि में पूरा किया जाना चाहिए जैसाकि, सरकार द्वारा समय-समय पर अपने सिटीजन चार्टर में युक्त किया गया हो।
- ग) उपरोक्त तथ्यों के निर्धारण के आधार पर, सत्यापक आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। दोनों मामलों में, उसे पूरा नाम एवं पदमान लिखते हुए फार्म पर हस्ताक्षर करने होंगे एवं तिथि लिखनी होगी।
- घ) जहां अतिरिक्त सूचना का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है – जैसे कि क्रिमीलेयर मानदण्ड की प्रयोज्यता, सत्यापक को टिप्पणी अनुभाग में या सत्यापन फार्म में, जैसा आवश्यक है, यह स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा।
- ड.) तब सत्यापक हस्ताक्षरित फार्म आवेदक को लौटाएगा ताकि उसे ई-सेवा पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

अनुलग्नक-6
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
(वर्ष 2007 तक किए गए संशोधन अनुसार)
(भाग-III - संविधान के अन्तर्गत नियम और आदेश)

भाग-V - हरियाणा

1 अद धर्मी	21 कोरी, कोली
2 बाल्मीकि	22 मरीजा, मरेचा
3 बंगाली	23 मजहबी, मजहबी सिक्ख
4 बराड़, बुराड़, बेराड़	24 मेघ, मेघवाल
5 बटवाल, बरवाला	25 नट, बादी
6 बौरिया, बावरिया	26 ओड
7 बाजीगर	27 पासी
8 भंजारा	28 पेरना
9 चमार, जातिया चमार, रेछड़, रायगड़, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोई, भाटोई, भांबी, चमार-रोहीदास, जाटव, जटावा, रामदासिया	29 फेररा
10 चनाल	30 सनहाई
11 दागी	31 संहाल
12 दारैन	32 सांसी, भेड़कूट, मनेश
13 डेहा, ढाया, ढेआ	33 संसोई,
14 धानक	34 सपेला, सपेरा
15 ढोगरी, धागड़ी, सिग्गी	35 सररा
16 डुम्ना, महाशा, डूम	36 सिकलीगर, बरिया
17 गागरा	37 सिर्कीबंद
18 गंधीला, गांदिल गोंडोला	
19 कबीर पंथी, जुलाहा	
20 खटीक	

पिछड़े वर्ग

खण्ड- 'ए'

1 अहेरिया, अहेड़ी, हेड़ी, नायक थोरी या तूरी, हरि	25 गोरखास,
2 बर्वा	26 गवाला, गौवाला
3 बेटा, हेंसी या हेसी	27 गडरिया, पाल, बगेल
4 बागरिया	28 गढ़ी लोहार
5 बरवार	29 हज्जाम, नाई, नाइस, सैन
6 बराय, तम्बोली	30 जागड़ा-ब्राह्मण, खाती, सूथर, धीमान-ब्राह्मण, तरखान, बढाई, बद्दी
7 बरागी, बैरागी, स्वामी साध	31 जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम-जोगी, योगी

8 बटेरा	32 कंजर या कंचन
9 भड़भूजा, भड़भूजा	33 कुर्मी
10 भाट, भाटरा, डरपी, रामिया	34 कुम्हार, प्रजापति
11 भूहालिया लोहार	35 कम्बोज
12 चांगर	36 खंघेड़ा
13 चिड़ीमार	37 कुचबंद
14 चांग	38 लबाणा
15 चिम्बा, छिपी, चिम्पा, दरजी, रोहिल्ला,	39 लखेरा, मनीहर, कचेरा
16 दैया	40 लोहार, पांचाल—ब्राह्मण
17 धोबीस	41 मदारी,
18 डाकौत	42 मोची
19 धीमर, मल्लाह, कश्यप—राजपूत, कहार, झींवर, खेवट, महारा, निषाद, साक्का, भिस्ती, शेख—अब्बासी	43 मिरासी
20 ढोसली, डोसली	44 नार
21 फकीर	45 नूंगर
22 गवारिया, गौरिया या ग्वार	46 नलबंद
23 घीरथ	47 पिंजा, पेंजा
24 घासी, घसियारा या घोसी	48 रेहड़, रेहड़ा या रे
49 रायगर	61 भाटू/चाटू
50 राय—सिक्ख	62 मीणा
51 रेचबैंड,	63 राहबरी
52 शोरगीर, शेरगीर	64 चारण
53 सोई	65 चार्ज (महाब्राह्मण)
54 सिंघीकांत, सिंघीवाला	66 उदासीन
55 सुनार, जरगर, सोनी,	67 रामगढ़िया
56 ठठेरा, तमेरा,	68 रंगरेज, लिलगर, निलगर, ललारी
57 तेली	69 दवाला, सोनी—दवाला, न्यारिआ
58 बंजारा, बंजारा	70 भाड़, राजभाड़
59 बुनकर (जुलाहा)	71 नट (मुस्लिम)
60 बड़ी/बड़ों	

पिछड़े वर्ग

खण्ड—'बी'

1 अहीर/यादव

2 गुज्जर

3 लोध/लोधा/लोधी

4 सैनी, शाक्या, कोइरी, कुश्वाहा, मौर्या

5 मेव

6 गोसाई/गोसाई/गोस्वामी

इस समय रायगर, मोची, बुनकर(जुलाहा) (पिछड़ा वर्ग) और जुलाहा (अनुसूचित जाति) तथा बड़ी जातियों का उल्लेख दोनों, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों की सूची में है। इन जातियों से सम्बन्धित व्यक्ति, जो गैर-हिन्दू और गैर-सिक्ख होने के नाते अनुसूचित जाति के तहत कवर नहीं आते हैं, केवल पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत लाभ उठा सकते हैं।

विशेष पिछड़ा वर्ग

1 बिश्नोई

2 जाट

3 जट-सिक्ख

4 रोड

5 त्यागी

6 मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Government Order

No. 22/132/2013-1GS-III

Dated: 21.03.2014

To,

1. All the Additional Chief Secretaries/ Administrative Secretaries to Government Haryana.
2. All Heads of Department in the State.
3. The Commissioners, Ambala, Hisar, Rohtak & Gurgaon Division.
4. All the CAs/ MDs of all Boards/ Corporations/ Public Sector Undertakings.
5. The Registrar of Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
6. All the Deputy Commissioners & Sub Divisional Officers (Civil).
7. The Registrars of all the Universities in the State of Haryana.

Subject: Regarding issue of Caste Certificates of Scheduled Caste, Backward Classes, Special Backward Classes, Economical Backward Classes & Other Backward Classes.

Sir/ Madam,

I am directed to invite your attention to the Government instructions.

References:		
A.	Notifications	
1	Constitution (Schedule Castes) Order, 1950 (as amended from time to time)	
2	Haryana Government instructions No. 4/76/78-SW dt. 13-9-1984	
3	Haryana Government Notification No. 59 SW (1)-2013 dated 24.01.2013	
4	Haryana Government Notification No. 770 SW (1)-2013 dated 10.10.2013	
5	Haryana Government Notification No. 938 SW (1)-2013 dated 13.01.2014	
B.	Government Instructions	
1	Reservation for other Backward classes- Exclusion of creamy layer for the purpose of appointment in services and posts under the Govt. Of India -certificate to be produced by the candidates bearing No. 22/51/93-3GS-III	dated 12.05.1994
2	-do-	dated 16.11.1994
3	-do-	dated 15.11.1995
4	-do-	dated 19.03.1997
5	Issue of Community certificates for employment/examinations etc bearing No. 22/51/93-3GSIII	dated 18.06.1997
6	Reservation for Other Backward Classes revised proforma certificate bearing No. 22/51/93-3GSIII	dated 12.08.1997
7	Haryana Government Instructions bearing No. 62/17/95-2GSIII	dated 03.10.1996
8	Issuing of Caste/community certificate in the prescribed proforma to SCs/ST & OBCs for Central Govt. Service bearing No. 22/51/93-3GSIII	dated 14.10.1997
9	Clarification regarding issuance of Certificate to Haryana Backward Classes bearing No.22/36/2000-GS-III	dated 09.08.2000

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

10	-do-	dated 11.12.2001
11	Streamlining the procedure regarding issuing of Resident/income certificates & caste certificates to SCs and BCs No.22/28/2003-3GSIII	dated 30.01.2004
12	-do-	dated 17.06.2004
13	Streamlining the procedure regarding issuing of caste certificates to SCs,BCs and other BCs No.22/76/2012-1GSIII	dated 22.03.2012
14	-do-	dated 12.06.2012
15	Regarding issue of caste certificates to SCs,BCs and OBCs on prescribed format to those candidates who apply for jobs in Govt. Of India No. 22/76/2011-1GSIII	dated 12.11.2012
C.	<i>Related Instructions</i>	
1	Grant of reservation in Jobs under Haryana Govt./Govt. Undertakings & Local bodies as well as admission in educational institutions No. 22/10/2013-1GSIII	dated 07.05.2013
2	-do-	dated 12.12.2013
4	Revision of Income criteria to exclude socially advanced persons from the purview of reservation for other backward classes in admission to Central educational institutions. No. 22/22/2004-3GSIII	dated 06.01.2014

Regarding issuance of Caste Certificate i.e. Scheduled Caste, Backward Classes & Special Backward Classes from time to time, now the State Government has decided to issue following instructions in a comprehensive manner and shall be implemented without reference to any other instructions issued in this behalf in the past :-

1. Introduction

1.1 A Caste Certificate is the proof of one's belonging to a particular caste, especially in case one belongs to any of the 'Scheduled Castes', as specified in the Indian Constitution. In so far as the state of Haryana is concerned, its residents are categorised among the following castes/ classes:

- ❖ Scheduled Castes
- ❖ Backward Castes - further sub-divided into Block 'A' and Block 'B'
- ❖ Special Backward Classes
- ❖ General Category (all residual castes not included in the above lists)

1.2 The notifications in respect of various caste groups i.e., Scheduled Castes, Backward Castes and the Special Backward Classes are issued by the 'Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department' from time to time.

1.3 As part of the Indian system of Protective Discrimination and affirmative action, there exist certain special privileges granted to these categories of citizens. The Government felt that the Scheduled Castes and Backward Castes need special encouragement and opportunities to progress at the same pace as the rest of the citizenry, such as reservation of seats in the Legislatures and in the Government Service, waiving off a part or the whole of the fees for admission to schools and colleges, quotas in educational institutions, relaxation

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

of upper age limits for applying to certain jobs, etc. etc. A citizen belonging to any one of these castes/ classes must be in possession of a valid Caste Certificate in order to be able to avail these privileges.

- 1.4 The Government has issued instructions for grant of Caste Certificates to the citizens/ residents of Haryana state from time to time. Some of the instructions issued on the subject have been mentioned above.
- 1.5 Issue of a Caste Certificate of any nomenclature has been defined as one of the 'citizen services' to be delivered by the Government, preferably in electronic mode. Keeping in view that delivery of citizen services in electronic mode has become the order of the day, it has become imperative to re-define the processes and the competent authority for the same. While it is important that a caste certificate is issued to a genuine and deserving person without any problems and with involvement of minimal administrative processes, it is equally important that any non-deserving person is not able to get such a Certificate on the basis of wrong averments/ misleading or fabricated evidence and misuse the caste-associated privileges.
- 1.6 **Effective Date:** The principles described herein, the competent authorities and the formats of the certificates shall be effective from the date this Order is issued. However, recognizing that the implementation of the supporting Information System (Haryana eSeva) across the state will be taken up in a phased manner, and that citizens should not be inconvenienced during the transition period, it has been decided that the existing practice may continue to be followed alongside until 31.03.2014. Caste Certificates issued after 31.03.2014 shall be issued strictly in accordance with this Order.

2. Caste Nomenclatures and Caste Inheritance

- 2.1 The determination/ verification of the caste of a person shall be done by an authorised person/ entity strictly in accordance with the Notifications issued by the 'Welfare of Scheduled Caste and Backward Classes Department' of the state of Haryana. In case of any doubt, clarifications given by the said Department alone would be valid.
- 2.2 The caste of married female residents shall be the caste inherited by birth. Children born out of inter-caste marriages shall inherit the caste of the father. Adopted children inherit the caste of the adoptive father; or in the case of adoption by a single parent, the caste of the adoptive parent.

3. Who is entitled to obtain a Caste Certificate?

Any person who is:

- ❖ A domicile/ resident of Haryana state since birth; or
- ❖ An employee or a dependant of an employee in the service of Haryana Government or any of its Boards/ Corporations/ Statutory authorities/ Universities etc.,

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

is entitled to apply for a Caste Certificate in accordance with the guidelines contained herein.

It is important to note that the person whose caste certificate is being requested (referred to in this document as "*the subject*") **must have been included in the State Resident Database** (also referred to in this document as "Resident Database" or simply, "Database") so as to ensure proper verification of identity and caste. Any person who is not included in the Resident Database may enrol at any authorized eDisha/ e-Seva centre by fulfilling the requirements set out separately for such process.

4. Validity of a Caste Certificate

- 4.1 A Caste Certificate once issued (in its standard format, as in Annexure 3) shall be valid for the life-time of the person so long as such caste is not removed or modified in the Notifications issued by the Welfare of Scheduled Caste and Backward Classes Department.
- 4.2 Where a Caste Certificate is requested for specific use outside the context of Government of Haryana, it may be so requested and issued in an alternative format (e.g., as in Annexure 4). Such an alternative format include information other than caste - such as the applicability of "creamy layer criteria". Such Certificates will become invalid after the validity date specified on the Certificate.
- 4.3 A Caste Certificate may also become invalid if after due process, it has been concluded that the caste was incorrectly declared / verified / noted in the Resident Database or certificate, due to any reason whatsoever.

5. Authority/ persons competent to verify the caste of a Resident

- 5.1 The following persons shall be competent to verify the caste of a resident:

Sr. No.	Category of resident	Competent Authority/ Person
(i)	A resident of any Rural Area in the state	Any two of the following: (i) A Lambardar of the Village, preferably one from the BC or SC Categories. In case no Lambardar is in position from the reserved categories, the General Category Lambardar shall verify the caste of the person; (ii) Sarpanch/Panch of the Village from the SC/BC category as the case may be; (iii) Patwari of the jurisdiction;
(ii)	A resident of any Urban Area (Municipal Committee/ Municipal Council/ Municipal Corporation) in Haryana	Any two of the following: (i) Municipal Councillor of the Ward; (ii) Patwari of the area; (iii) Executive Officer/ Secretary of the MC concerned.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Sr. No.	Category of resident	Competent Authority/ Person
(iii)	An employee/ dependent of an employee serving in connection with the affairs of the State of Haryana and its PSUs/ statutory Authorities/ Universities	Any one of the following: (i) Head of Office of the concerned employee; (ii) Head of the Department of the concerned employee.

5.2 The caste of a resident shall be considered as adequately verified and therefore there shall be no need for re-verification of caste in the following cases:

- (a) Where a caste certificate has been issued in favour of *the subject* earlier after following the verification process by the competent authority once;
- (b) Where a caste certificate has been issued earlier (after following the verification process by the competent authority) in respect of a member of the family of *the subject*, provided the family linkage tree is well established in the database beyond any doubt;
- (c) Where the data pertaining to the residents of a village or an urban area in any locality is validated through the consultative process in the meeting of the Gram Sabha/ local residents/ Municipal Ward, along with the verification of the castes of its residents and signed off by the above mentioned authorized persons; the data is then made a part of the Resident Database; and *the subject's* caste has been thus noted in the Database as verified.

5.3 Where an alternative Caste Certificate format includes additional information (other than caste; such as the applicability of creamy layer criteria), a verification step may be required even if the caste of the subject is already noted as verified.

6. Authority competent to issue a Caste Certificate

6.1 A caste certificate may be issued through any citizen services channel authorized for the purpose.

Computer-generated Caste Certificate of any resident whose caste has been duly verified and noted in the Resident Database, in the format and as per the procedure prescribed for the purpose may be issued by any of the following authorized entities:

- (a) The Head of Department or Head of Office in the case of a Government employee or his dependent;
- (b) Tehsildar/ Naib Tehsildar of the concerned jurisdiction;
- (c) Head of a Government Educational Institution (a school, ITI, polytechnic or college) in the case of students of their institution;

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

- (d) Any eDisha Centre established and managed by the District eGovernance Society (DeGS) throughout the state and duly authorised by the Electronics & Information Technology Department of the state for the purpose;
- (e) A Common Service Centre (CSC)/ Haryana e-Seva Centre operating in the state under the valid authority of the Electronics & Information Technology Department of the state.

6.2 Computer-generated Caste Certificates downloaded through Haryana Government Citizen Services Portals authorized for the purpose - whether digitally signed electronic files, or printed copies thereof are considered equally valid.

7. General Terms and Conditions

7.1 The Caste Certificate is usable without any restriction wherever it is accepted (i.e., subject to the relying party's criteria) - and hence no usage/ applicability restrictions will be mentioned on the Certificate. Guidance to the relying parties regarding verification of the Certificates is given in Para 9 below.

7.2 Only computer-generated Caste Certificates based on data verified (as described in Para 5 above) in the State Resident Database and in the prescribed format(s) shall be considered valid Caste Certificates from the effective date of this order.

7.3 A Caste Certificate obtained by means of any fraud, misrepresentation or concealment of facts or by some other means shall be declared as invalid/ non-est and the benefit availed by the candidate shall be withdrawn and a criminal case may be registered against the applicant mis-representing the facts as well as against the officials/ authorized persons for incorrect/ wrong verification by collusion or otherwise. "In such event, the certificate shall be marked as invalid in the State Resident Database".

7.4 Mere issue of a SC/ BC certificate does not entitle a person holding such certificate to various benefits that may be admissible under various Government Schemes from time to time. Hence, it is important that the authority concerned examines *the subject's* entitlement to any specific benefit in accordance with the instructions on the subject at any given point in time. For instance, a person from the Backward Castes may not be entitled to certain benefits if he falls within the creamy layer as defined from time to time. Accordingly, the Caste Certificates shall address ONLY the caste of *the subject*. Other eligibility criteria of a particular scheme (such as income level or creamy layer) shall be addressed separately by the authority extending any such benefits.

7.5 All Haryana Government organizations (including Departments, Educational Institutions, Boards, Corporations and Societies) are required to accept the Caste Certificate in its standard format (as in Annexure 3). For citizen convenience, alternative formats (as in Annexure 4) are offered only for use with Central Government Institutions.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

8. Process outline for the application and issuance of a Caste Certificate

This is a process outline. Please refer to Annexure 1 for detailed description.

8.1 Step 1 - Application

Request across the counter of any Haryana e-Seva Centre / eDisha Centre; OR
Apply directly through the Haryana e-Seva website/Portal.

- (i) The *subject* must be adequately identified in the State Resident Database either by Aadhaar number or by other means for the application to be accepted.
- (ii) The applicant may, at this time, request for the Certificate in one of the available alternative formats.
- (iii) The Certificate is issued across the counter if the caste of the subject is already verified and recorded as such in the State Resident Database.

8.2 Step 2 - Verification (only if indicated as necessary in paras 5.2 and 5.3 above)

- (i) Where electronic verification is implemented, the application is automatically forwarded to authorized verifiers;
- (ii) Residents may also opt to obtain and submit paper-based verification.
- (iii) In case of electronic verification, the applicant need only wait for the verification to be completed.
- (iv) Status may be checked online (e-Seva Portal) or at the eDisha / e-Seva Centres.

8.3 Step 3: Certificate Generation and Issuance

- (i) A digitally signed Caste Certificate is automatically generated by the computer system for every verified application.
- (ii) This may be downloaded directly from the e-Seva Portal or can be obtained (either in softcopy form or a print-out) from the eDisha / e-Seva Centre where the service charges have been paid. The Service Request Number (SRN, used for status tracking) and/or the service charge receipt would be required for this purpose.
- (iii) All printed certificates are meant to be verified online through a tracking number and hence are valid without any signature. However, upon request from the applicant, the issuers are authorized to affix their signature and stamp on the certificate.
- (iv) In case of paper-based verification, the applicant gets the verification completed by the authorized verifier(s) as per Para 5.1 above and uploads *the verification document* to the e-Seva Portal using any computer system with internet access or at the nearest eDisha / e-Seva Centre.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

9. Verification of Caste Certificate by a Relying Party

- 9.1 The caste certificate is usually obtained for the purpose of submitting to an entity as a proof of entitlement of some benefit; or to meet an eligibility criterion. An entity accepting the certificates issued as per this process is referred to as a "Relying Entity" or more commonly, as a "Relying Party" (RP).
- 9.2 The best practice is that the RPs obtain caste information by integrating their Information Systems to the State Resident Database - so that the entire certificate printing and certificate verification processes may be eliminated.
- 9.3 The state Electronics & Information Technology Department will provide free-of-cost guidance to entities who opt to so integrate their Information Systems with the State Resident Database.
- 9.4 RPs whose systems have not been integrated with the State Resident Database may follow the process outlined below.
- (i) To ensure complete authenticity of the data, RPs should verify the printed certificate online using the verification link printed on the certificate.
 - (ii) For convenient smartphone / tablet based verification, a QR code may also be printed on the Certificate giving the verification link. In such cases, this is an alternative method available for the RPs. Please note that a suitable QR Code Reader application would be required on the smartphone / tablet to perform this function.
 - (iii) If a digitally signed softcopy of the certificate is presented, RPs should verify the validity of the digital signature and the signing authority before accepting it.
 - (iv) The RPs, at their own discretion and liability, may also accept the printed certificate as-is (with or without a signature of the issuer).
 - (v) A RP who discovers any fraud or misuse related to the issuance/ use of a Caste Certificate, must report it to the Haryana e-Seva authorities (through their website at eSeva.haryana.gov.in or by writing to them) or to the nearest law enforcement authority along with any relevant evidence.

10. Grievance Redressal and Corrections Process

- 10.1 Where the processes and guidelines described here do not adequately address a particular situation or have produced an unsatisfactory result, a stakeholder (the applicant / *the subject* / the verification authority / the eDisha or e-Seva Operators) should first approach the Haryana e-Seva HELP DESK whose contact details are available on the Haryana e-Seva website. This includes situations where a caste certificate process has resulted in an erroneous entry in the State Resident Database.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

- 10.2 If the problem is not resolved within a reasonable amount of time, a grievance may be lodged with the Haryana e-Seva Grievance Redressal Cell whose contact details are available on the Haryana e-Seva website, mentioning the e-Seva HELP DESK problem reference number and any additional details regarding the problem / its pendency.
- 10.3 Any corrections to the caste entries in the State Resident Database will be carried out after conducting an enquiry. The official custodian of the Database is authorized to cause changes to the Database based on the results of the enquiry.

The above decision may kindly be brought to the notice of all concerned for strict compliance.


Secretary to Government of Haryana
General Administration Department
for Chief Secretary, Government of Haryana

Endst. No. 22/132/2013-1GS-III

Dated, Chandigarh, the 21.03.2014

A copy is forwarded to the following for information and action where necessary :-

1. The Secretary, Haryana Public Service Commission.
2. The Secretary, Haryana Staff Selection Commission.
3. Principal, HIPA, Sector - 16, Panchkula.


Secretary to Government of Haryana
General Administration Department
for Chief Secretary, Government of Haryana

Endst. No. 22/132/2013-1GS-III

Dated, Chandigarh, the 21.03.2014

A copy is forwarded to all the ~~Addl Chief Secretaries~~ & Principal Secretaries/ Administrative Secretaries to Government Haryana for information and necessary action.


Secretary to Government of Haryana
General Administration Department
for Chief Secretary, Government of Haryana

To

All the ~~Addl Chief Secretaries~~ and Principal Secretaries/ Administrative Secretaries to Government Haryana.

Endst. No. 22/132/2013-1GS-III

Dated, Chandigarh, the 21.03.2014

A copy is forwarded to the PSCM, APSCM-I, APSCM-II, Principal OSD/ CM, DPSCM, OSD/ CM, Private Secretaries to the Chief Minister/ Ministers/ Ministers of State for information of the Chief Minister/ Ministers/ Ministers of State, Haryana.


Secretary to Government of Haryana
General Administration Department
for Chief Secretary, Government of Haryana

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

To

The PSCM, APSCM-I, APSCM-II, Principal OSD/ CM, DPSCM, OSD/ CM, Private Secretaries to the Chief Minister/ Ministers/ Ministers of State.

U.O. No. 22/132/2013-1GS-III
Endst. No. 22/132/2013-1GS-III

Dated, Chandigarh, the 21.03.2014
Dated, Chandigarh, the 21.03.2014

A copy is forwarded to Member Secretary, Haryana Bureau of Public Enterprises for information and necessary action. They are requested to sent the copy of these instructions to all the Boards/ Corporations in the State of Haryana for taking necessary action.


Secretary to Government of Haryana
General Administration Department
for Chief Secretary, Government of Haryana

Endst. No. 22/132/2013-1GS-III

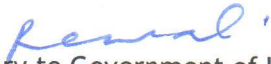
Dated, Chandigarh, the 21.03.2014

A copy is forwarded to the following for information and action where necessary :-

1. The Director, Local Bodies Haryana for circulating these instructions to all the M.C. / Council/ Corporations in the State.
2. The Director, Information and Public Relation Haryana, Chandigarh for giving appropriate publicity.


Secretary to Government of Haryana
General Administration Department
for Chief Secretary, Government of Haryana

A copy is forwarded to all the Branch Officer/ Superintendents/ Deputy Superintendents of Haryana Civil Secretariat/ F.C. Office for information and necessary action.


Secretary to Government of Haryana
General Administration Department
for Chief Secretary, Government of Haryana

To

All the Branch Officers/ Superintendent/ Deputy Superintendents of Haryana Civil Secretariat/ F.C. Office.

U.O. No. 22/132/2013-1GS-III

Dated, Chandigarh, the 21.03.2014

Internal distribution

Incharge NIC for hosting the above instructions on State Government website.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Annexure 1

Process for the Application and Issuance of a Caste Certificate

A1.1 Step 1 - Application

Request across the counter of any Haryana e-Seva Centre / eDisha Centre; OR
Apply directly through the Haryana e-Seva website.

- (a) Any resident of the state may approach an eDisha/ e-Seva Operator at any eDisha Centre or Haryana e-Seva Centre of the state and request for a Caste Certificate either for self or for a member of the immediate family. A verbal request across the counter of an e-Seva Centre / eDisha Centre shall be treated as an application for the purpose.
- (b) The resident may also apply for the same using the **Haryana e-Seva Portal (eSeva.haryana.gov.in)**. This website may also be used by the employees of Haryana Government and its PSUs/ Statutory Authorities/ Universities, etc.
- (c) The applicant must provide sufficient identification data of *the subject* so as to identify the person positively in the State Resident Database. Please see the notes below for acceptable identification options.
- (d) If the Certificate is required for use with the Central Government or other (than Haryana) State Government entities, the applicant may, at this stage, request for the Certificate in an alternative format. The e-Seva Portal would show the available formats to choose from.
- (e) At this stage, the e-Seva Portal would indicate whether *the subject's* caste is already recorded as "verified" in the Resident Database. If it is not so recorded, the applicant/operator would be informed that the application requires verification.
- (f) The applicant is then required to pay the applicable service charges for which, a computer-generated receipt is issued. Once the payment is made, the application is considered as accepted and a Service Request Number (SRN) would be generated to help track the progress of the application. This SRN would be printed on the receipt.

Notes for Step 1:

- (i) There are no geographical restrictions regarding who may apply for a Caste Certificate at which eDisha / e-Seva Centre. Any resident of the state may apply at any nearest convenient Centre.
- (ii) At this time, **any one of the following** is considered adequate for the purpose of identification of *the subject*:
 - (a) Aadhaar Number (UID number issued by the UIDAI) and full name of *the subject* as provided when enrolling for the Aadhaar number. The Aadhaar Letter / Card or a printout of the e-Aadhaar of *the subject* would contain the above information;

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

- (b) In case *the subject* has applied for the Aadhaar number, but has not been issued the same, by providing the corresponding Enrolment ID and the full name along with a copy of the Enrolment Receipt;
 - (c) In case *the subject* is already enrolled in the State Resident Database (irrespective of Aadhaar enrolment), then the full name and the registered mobile number / registered email address;
 - (d) In case *the subject* is registered in the State Resident Database with a photograph and is applying in person, then he/she may request the eDisha / Haryana e-Seva operator to make the identification manually (by comparing the photograph on record). In this case the identification must be completed by the eDisha / Haryana e-Seva Operator to his/her satisfaction. The application is not considered as accepted if this is not completed for any reason (e.g., if the Operator / Manager of the Centre is not satisfied about the identity).
 - (e) In the case *the subject* is not enrolled for Aadhaar Number nor is the record found in the State Resident Database, then he/she may enroll for the same at the same facility. If the enrolment service is unavailable at the Centre for some reason the enrolment may be carried out at any other eDisha / e-Seva Centre of the state. The application process for the Caste Certificate may commence immediately after the completion of the enrolment.
- (iii) The eDisha / e-Seva Centres and the e-Seva Portal are required to prominently display government-approved service charges for each service. Applicants should insist on a computer-generated receipt for all payments made as this would encourage greater transparency as well as help measure promptness of service delivery.

A1.2 Step 2 - Verification (only if indicated as necessary in A1.1 Step 1 (e) above)

Where electronic verification is implemented, the application is automatically forwarded to authorized verifiers; Residents may also opt to obtain and submit paper-based verification.

- (a) **Electronic Verification:** Where this method is available, upon acceptance, the application is automatically forwarded for electronic verification by one or more authorized officials in the village / town / city where *the subject* resides.
Guidance for authorized verifiers in using this system is provided separately in Annexure 5.
- (b) **Paper-based Verification:** If this option is selected, a pre-filled (based on *the subject's* particulars, as provided) application-cum-verification form (*the Verification Document*) is generated by the e-Seva Portal that must be printed, completed, signed and used for verification by the applicant.
- (c) If the application is being made at an eDisha or e-Seva Centre, the operator shall provide a print out of *the Verification Document* after receipt of payment for the applicable service charges.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

- (d) The applicant is then required to approach one or more authorized verifiers (as in Para 5 above) and obtain the signature(s) on *the Verification Document*. The full name and designation of each verifier is also required to be mentioned alongwith.
- (e) Where available, the applicant may submit suitable documentary evidence (such as a prior caste certificate issued to *the subject* or a close relative) to satisfy the verifiers. The verifiers may choose to accept or reject the evidence at their sole discretion.
- (f) The completed *Verification Document* must then be scanned and uploaded to the eSeva Portal - either by the authorized verifier or the applicant, from any computer. Alternatively, this may also be done at the eDisha / e-Seva Centre where the request was made, free of charge. The document is then automatically sent for processing and updating of the State Resident Database.

Notes for Step 2:

- (i) Paper-based verification method may be selected by the applicant for his/her convenience, even where electronic verification facility is available. In such cases, the result of the application would depend on the method that is completed first. For example, if the electronic verification is completed first, then this would be indicated (based on the SRN) when an attempt is made to upload the Verification Document. Similarly, if the Verification Document has been uploaded and processed for a given SRN, it would then not appear in the pending list in the electronic system.
- (ii) The Verification Document will include a self declaration/ undertaking that the facts stated in the application are true and correct and that the applicant shall be responsible for any mis-representation, concealment of facts, including legal consequences arising there from. Any Affidavit shall NOT be required to be submitted for the same.
- (iii) When uploading the Verification Document, care must be taken to quote the correct SRN. Not entering the correct SRN while uploading could cause processing delays.
- (iv) Only the verification document shall be uploaded. Proof documents (if any) are only for verifiers' reference - and hence should not be uploaded.
- (v) At any stage, the applicant can use the SRN to check the progress of the application either at the eDisha / e-Seva Centres or on the eSeva Portal.

A1.3 Step 3: Certificate Generation and Issuance

- (a) Once the Verification step is completed (as determined by the updated status), the applicant may obtain a computer-generated printed certificate from any eDisha or e-Seva Centre at any time, by showing the proof of payment of the applicable service charges. Additional copies of the certificate may attract additional service charges.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

- (b) The applicant may also download the certificate from any computer suitably equipped for the same - using the SRN and the subject's particulars as reference.
- (c) All printed certificates are meant to be verified online through a tracking number and hence are valid without any signature. However, upon request from the applicant, the issuers are authorized to affix their signature and stamp on the certificate.
- (d) Only computer-generated certificates (based on the State Resident Database) shall be issued from the effective date of this Order.

Notes for Step 3:

- i) Due to the online method of verification, additional copies and photocopies of a Caste Certificate are considered as equivalent to an Original Certificate.

Guidance to Relying Parties for verification of Caste Certificates is provided in Para 9 of this order.

- ii) The applicant is also entitled to obtain a digitally signed softcopy of the certificate at no additional cost. However, the electronic media (e.g., a working USB flash drive or an email address with sufficient free space) for this purpose must be provided by the applicant. Subject to availability, the eDisha / e-Seva centres may provide such media - at additional cost.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Annexure 2
Format of the Application-cum-Verification Form



Application-cum-Verification Form
(Caste Certificate)
हरियाणा सरकार / Government of Haryana

Photograph

I hereby apply to the Government of Haryana, for a Caste Certificate to be issued as per the particulars below.

नाम / Name "आधार" संख्या / UID No.	
पिता का नाम / Father's Name "आधार" संख्या / UID No.	
माता का नाम / Mother's Name "आधार" संख्या / UID No.	
वर्तमान पता / Current Address	
जाति / Caste	
जाति वर्ग / Caste Category	

☐ I have read the eligibility criteria (available at Haryana eSeva Kendras and eSeva Portal) for Other Backward Classes (OBCs). I declare that I do not belong to the creamy layer.

I hereby declare that all the above details are complete and true to the best of my knowledge and that I bear the liability of any false information provided by me.

Signature of the applicant: _____ Date: _____

Full name of the applicant: _____

Verification Section - for use by Authorised Verifiers only

☐ Approved ☐ Rejected
☐ DOES NOT belong to Creamy Layer (OBC only)

Remarks:

Signature _____

Full Name _____

Designation _____

Date: _____

☐ Approved ☐ Rejected
☐ DOES NOT belong to Creamy Layer (OBC only)

Remarks:

Signature _____

Full Name _____

Designation _____

Date: _____

Authorities / persons competent to verify this form are required to follow the latest Government Orders / instructions in this matter. For more information, please refer to <http://haryanaeseva.gov.in/verifier-reference/caste-certificate>

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Annexure 3
Format of the Caste Certificate



जाति प्रमाणपत्र / CASTE CERTIFICATE

हरियाणा सरकार / Government of Haryana

हरियाणा सरकार के शासनादेश No.Citizen Services/2014/01 के अनुसार जारी।

Issued as per the G.O. No. Citizen Services/2014/01 of Government of Haryana.

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना राज्य के "निवासी डेटाबेस" में जाति के मूल रिकॉर्ड पर आधारित है।
Certified that the following information has been taken from the original record of caste in the
"State Resident Database".

नाम Name "आधार" संख्या / UID No.	
पिता का नाम Father's Name "आधार" संख्या / UID No.	
माता का नाम Mother's Name "आधार" संख्या / UID No.	
वर्तमान पता Current Address	
जाति Caste	
जाति वर्ग Caste Category	

Space for Photograph
(if available)

जारी करने की तिथि / Date of Issuance:

यह प्रमाणपत्र कंप्यूटर द्वारा जारी किया गया है। यह बिना किसी हस्ताक्षर के वैध एवं मान्य है। इस की प्रामाणिकता नीचे दिये गये लिंक से सत्यापित की जा सकती है।
तथापि, आवेदक के अनुरोध पर हरियाणा ई-सेवा के ऑपरेटर इस पर हस्ताक्षर करने तथा मोहर लगाने के लिए प्राधिकृत हैं।
This is a computer-generated certificate. It is valid without any signature. Its authenticity can be verified at the link given below. However, Haryana e-Seva operators are authorised to affix their signature and stamp upon request of the applicant.

सत्यापन लिंक / Verification Link:

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Annexure 4
Alternative Format (for use outside Haryana Government organizations)



जाति प्रमाणपत्र / CASTE CERTIFICATE

हरियाणा सरकार / Government of Haryana

हरियाणा सरकार के शासनादेश No.Citizen Services/2014/01 के अनुसार जारी।

Issued as per the G.O. No. Citizen Services/2014/01 of Government of Haryana.

प्रमाणित किया जाता है कि:

This is to certify that:

नाम Name	
पिता का नाम Father's Name	
निवासी (पता) Resident of (address)	

belongs to the caste (category):

जाति (वर्ग) के हैं।

OBCs ONLY:

This person does not belong to the section (creamy layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993 and O.M. No. 11-13/2013-U-Policy dated 31.05.2013.

Notes:

Schedule Castes are certified as per:

1. The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
2. The Punjab Reorganization Act, 1966.

Other Backward Classes are certified as per:

1. Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/68/93-BCC(C), dated the 10th September, 1993, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, No. 186, dated the 13th September, 1993.

जारी करने की तिथि / Date of Issuance:

यह प्रमाणपत्र कंप्यूटर द्वारा जारी किया गया है। यह बिना किसी हस्ताक्षर के वैध एवं मान्य है। इस की प्रामाणिकता नीचे दिये गये लिंक से सत्यापित की जा सकती है।
तथापि, आवेदक के अनुरोध पर हरियाणा ई-सेवा के ऑपरेटर इस पर हस्ताक्षर करने तथा मोहर लगाने के लिए प्रीयकृत हैं।

This is a computer-generated certificate. It is valid without any signature. Its authenticity can be verified at the link given below. However, Haryana e-Seva operators are authorised to affix their signature and stamp upon request of the applicant.

सत्यापन लिंक / Verification Link:

Space for Photograph
(if available)

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Annexure 5
Guidance Notes to Verifiers and Issuing Authorities
Approval and Issuance of Caste Certificates

These step-by-step guidance notes are provided for use by Verification and Issuance Authorities (Paras 5.1 and 6.1 respectively).

A4.1 Electronic Verification (approval) of the Caste of a *subject*

- a) In locations where electronic verification is implemented, authorized verifiers would have access to a computer or a tablet device that has access to the e-Seva Verification application. They would also be provided adequate training on the use of the devices and/or the e-Seva Portal. Hence the following instructions are to be used as a ready-reference supplementing the training.
- b) Verification using a computer:
 - b.1) Login to the computer.
 - b.2) Using a supported browser (e.g., firefox), access the e-Seva Portal (eSeva.haryana.gov.in) and login using the credentials (such as a userid and password) provided.
 - b.3) Click on the "Clear Pending Applications" link. A list of all pending applications will appear grouped by category.
 - b.4) Select the "Caste Certificate" category, if it is not already selected.
 - b.5) Select a pending application and review the information presented.
 - b.6) If the presented information (caste of *the subject*) is correct, select "I know the details to be true" as the *basis* and click on the "Approve" button.
 - b.7) If the factual correctness is not known immediately, it is the duty of the Verifier to review the application carefully and independently satisfy himself/herself of the factual correctness through enquiries or supporting documents. As this may take time, the application can be put "On Hold" by specifying a suitable reason such as "Require applicant to appear in person" or "Temporary hold while making enquiries".
 - b.8) In cases where the facts were determined either through perusal of past records / copies of close relatives' certificates select "Found to be true based on enquiries" OR "Found to be true based on supporting documents provided" as the *basis* before clicking on the "Approve" or "Reject" buttons.
 - b.9) When the information is found to be NOT CORRECT, select the appropriate *basis* ("I know the details to be false" OR "Found to be false based on enquiries" OR "Found to be false based on supporting documents provided" and click on the "Reject" button.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

b.10) The eSeva Server will make a note of the Verifier's Full Name, Designation and authentication (login) method/time and update the status of the application as directed by the Verifier.

c) Verification using an authorized tablet device:

c.1) All authorized tablet devices will have the e-Seva verification application pre-installed. Should your device not have this application or if it is not functioning properly, please ask for assistance from your District-level IT Team.

Note: As a security provision, e-Seva application may be location-locked. If so, the application will not operate outside the designated geographical area.

c.2) Start the application (by tapping on the designated icon). A list of officials authorized to use the device will appear. If your name does not appear, either use a different device or contact your District-level IT Team for assistance.

c.3) Login to the application by selecting your name and providing any additional credentials as requested by the application (e.g., a One-Time Password sent to your mobile phone).

c.4) A list of all pending applications will appear, grouped by category.

c.5) Select the "Caste Certificate" category, if it is not already selected.

c.6) Select a pending application and review the information presented.

c.7) If the presented information (caste of *the subject*) is correct, select "I know the details to be true" as the *basis* and tap on the "Approve" button.

c.8) If the factual correctness is not known immediately, it is the duty of the Verifier to review the application carefully and independently satisfy himself/herself of the factual correctness through enquiries or supporting documents. As this may take time, the application can be put "On Hold" by specifying a suitable reason such as "Require applicant to appear in person" or "Temporary hold while making enquiries".

c.9) In cases where the facts were determined either through perusal of past records / copies of close relatives' certificates select "Found to be true based on enquiries" OR "Found to be true based on supporting documents provided" as the *basis* before tapping on the "Approve" or "Reject" buttons.

c.10) When the information is found to be NOT CORRECT, select the appropriate *basis* ("I know the details to be false" OR "Found to be false based on enquiries" OR "Found to be false based on supporting documents provided" and tap on the "Reject" button.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

c.11) The eSeva Server will make a note of the Verifier's Full Name, Designation and authentication (login) method/time and update the status of the application as directed by the Verifier.

A4.2 Paper-based Verification (approval) of the Caste of a *subject*

- a) Upon receipt of application-cum-verification form (*the Verification Document*), the verifier must review the contents carefully to independently satisfy himself/herself of the factual correctness of the caste of *the subject*. For this purpose, any evidence (such as a prior caste certificate issued to *the subject* or a close relative; or reference of a person whom the verifier knows personally and whose reference he/she can rely upon) presented by the applicant may be taken into account at the sole discretion of the verifier.
- b) If necessary, the verifier may choose to make separate enquiries regarding the matter. To avoid undue delay in service delivery, such enquiries and corresponding disposal of the application must be completed within a reasonable period - as may be stipulated by the Government in its Citizen's Charter, from time to time.
- c) Based on the determination of facts as above, the verifier may approve or reject the application. In either case, he/she must sign and date the form, noting full name and designation alongwith.
- d) Where additional information is required to be verified - such as the applicability of *creamy layer criteria*, the verifier should indicate this clearly in the remarks section or as otherwise required in the verification form.
- e) The verifier must then return the signed form to the applicant so that it may be uploaded to the e-Seva Portal.

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Annexure 6
Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
[as amended up to 2007]

(PART III.—Rules and Orders under the Constitution)

PART V. — Haryana

1. Ad Dharmi	31. Sanhal
2. Balmiki	32. Sansi, Bhedkut, Manesh
3. Bangali	33. Sansoi
4. Barar, Burar, Berar	34. Sapela, Sapera
5. Batwal, Barwala	35. Sarera
6. Bauria, Bawaria	36. Sikligar, Bariya
7. Bazigar	37. Sirkiband
8. Bhanjra	
9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Balahi, Batoi, Bhatoi, Bhambi, Chamar- Rohidas, Jatav, Jatava, Ramdasia	
10. Chanal	
11. Dagi	
12. Darain	
13. Deha, Dhaya, Dhea	
14. Dhanak	
15. Dhogri, Dhangri, Siggri	
16. Dumna, Mahasha, Doom	
17. Gagra	
18. Gandhila, Gandil Gondola	
19. Kabirpanthi, Julaha	
20. Khatik	
21. Kori, Koli	
22. Marija, Marecha	
23. Mazhabi, Mazhabi Sikh	
24. Megh, Meghwal	
25. Nat, Badi	
26. Od	
27. Pasi	
28. Perna	
29. Pherera	
30. Sanhai	

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Backward Castes

Block 'A'

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Aheria, Aheri, Heri, Naik Thori or Turi, Hari | 36. Khanghera |
| 2. Barra | 37. Kuchband |
| 3. Beta, Hensi or Hesi | 38. Labana |
| 4. Bagria | 39. Lakhera, Manihar, Kachera |
| 5. Barwar | 40. Lohar, Panchal - Brahmin. |
| 6. Barai, Tamboli | 41. Madari |
| 7. Baragi, Bairagi, Swami Sadh | 42. Mochi |
| 8. Battera | 43. Mirasi |
| 9. Bharbhunja, Bharbhuja | 44. Nar |
| 10. Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya | 45. Noongar |
| 11. Bhuhalia Lohar | 46. Nalband |
| 12. Changar | 47. Pinja, Penja |
| 13. Chirimar | 48. Rehar, Rehara or Re |
| 14. Chang | 49. Raigar |
| 15. Chimba, Chhipi, Chimpa, Darzi, Rohilla | 50. Rai Sikhs |
| 16. Daiya | 51. Rechband |
| 17. Dhobis | 52. Shorgir, Shergir |
| 18. Dakaut | 53. Soi |
| 19. Dhimar, Mallah, Kashyap-Rajpoot, Kahar, Jhiwar, Dhinwar, Khewat, Mehra, Nishad, Sakka, Bhisti, Sheikh-Abbasi | 54. Singhikant, Singiwala |
| 20. Dhosali, Dosali | 55. Sunar, Zargar, Soni |
| 21. Faquir | 56. Thathera, Tamera |
| 22. Gwaria, Gauria or Gwar | 57. Teli |
| 23. Ghirath | 58. Banzara, Banjara |
| 24. Ghasi, Ghasiara or Ghosi | 59. Weaver (Jullaha) |
| 25. Gorkhas | 60. Badi/Baddon |
| 26. Gawala, Gowala | 61. Bhattu/Chattu |
| 27. Gadaria, Pal, Baghel | 62. Mina |
| 28. Garhi Lohar | 63. Rahbari |
| 29. Hajjam, Nai, Nais, Sain | 64. Charan |
| 30. Jhangra-Brahman, Khati, Suthar, Dhiman Brahmin, Tarkhan, Barhai, Baddi | 65. Chaaraj (Mahabrahman) |
| 31. Joginath, Jogi, Nath, Jangam-Jogi, Yogi | 66. Udasin |
| 32. Kanjar or Kanchan | 67. Ramgarhia |
| 33. Kurmi | 68. Rangrez, Lilgar, Nilgar, Lallari |
| 34. Kumhars, Prajapati | 69. Dawala, Soni-Dawala, Nyaaria |
| 35. Kamboj | 70. Bhar, Rajbhar |
| | 71. Nat (Muslim) |

Government of Haryana
Office of the Chief Secretary Haryana
General Administration Department

Backward Castes

Block 'B'

1. Ahir/Yadav
2. Gujjar
3. Lodh/Lodha/Lodhi
4. Saini, Shakya, koeri, kushwaha, maurya.
5. Meo
6. Gosai/Gosain/Goswami

At present, Raigar, Mochi, Weaver (Jullaha) (BC) and Julaha (SC) and Badi Castes find a mention in the list of both Scheduled Caste and Backward Classes. The persons belonging to these Castes who are not covered under the Scheduled Castes on account of being Non-Hindus and Non-Sikhs can take the benefit under the Backward Classes only.

Special Backward Castes

1. Bishnoi
2. Jat
3. Jat Sikh
4. Ror
5. Tyagi
6. Mulla Jats/ Muslim Jat.

~oOo~